

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक I/306168/2025

दिनांक 14-06-2025

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय - NCTE पाठ्यक्रम तथा सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया जाना है। इस हेतु सभी हेल्प सेंटर्स को निर्देशित किया जाता है कि समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सूक्ष्मता से परीक्षण उपरांत ही फीस जमा करने हेतु लिंक इनिसिएट करना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों में विसंगति पाये जाने पर फीस हेतु लिंक इनिसिएट नहीं करने तथा प्रवेश पोर्टल पर कारण सहित प्रविष्टि करें।

2- बीपीएड एवं एमपीएड में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा किया जायेगा। दस्तावेजों में विसंगति पाये जाने पर फीस हेतु लिंक इनिसिएट नहीं करने तथा प्रवेश पोर्टल पर कारण सहित प्रविष्टि करेंगे।

3- सामान्य पाठ्यक्रमों में अधिभार का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लिंक भी हेल्प सेंटर द्वारा इनिसिएट की जानी है अतः अधिभार हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवंटित महाविद्यालय में दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिंक इनिसिएट की जाये। निजी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अग्रणी महाविद्यालय में किया जायेगा। एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल NEP चतुर्थ वर्ष से उत्तीर्ण / चतुर्थ वर्ष की वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र देखकर ही विद्यार्थी को ही प्रवेश हेतु लिंक इनिसिएट की जाये।

हेल्प सेंटर पर लिंक इनिसिएट हेतु आने वाली विद्यार्थियों का रिकार्ड तीन प्रतियों में रखना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
2. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.
- 2 निज सहायक आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
- 3 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.